

(शासनालय भू-राजस्व अधिनियम, 1986 के नियम 120 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

| क्र. सं. | खाला सं० | खसरा नंबर | रकबा | वर्तमान खाले का विवरण | प्रस्तावित प्रविष्टि | वि०वि० |
|----------|----------|-----------|------|--|--------------------------------------|---|
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | 138 | | | <p>वना भूज वना हिस्सा 1/15 वना भूज वना हिस्सा 1/5 जोब एरन्डर</p> | <p>वना भूज वना (1/15) जोब एरन्डर</p> | <p>24/12/25 वना भूज वना हिस्सा 1/15 वना भूज वना हिस्सा 1/5 जोब एरन्डर</p> |

13/1/2025

मुताबिक भिसल / जमाबन्दी संघत 2025-2026 (2019) से 2021 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया खाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1986 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिपोर्ट से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाले में शुद्धि किया जाना उचित है।

पं०रत्ना प्रसाद भू०अ०नि० 24/12/25 की रिपोर्ट व साबिक रिपोर्ट के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्दीबस्त सांक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

पं०रत्ना प्रसाद भू०अ०नि० 24/12/25 की रिपोर्ट व साबिक रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के शाल जमाबन्दी में अमल किया जावे।

पटवारी (पू. अ.) श्री. राजेश कुमार
कर्मचारी-आबरोड (सिरोही)
दिनांक 24/12/25

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय आबरोड

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय आबरोड